

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बी-ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 291

दिनांक :- 11.08.2017

प्रश्नकर्ता :- श्री जरनैल सिंह, विधायक

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर												
क	ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2013-14, 2014-15 व वर्ष 2015-16 में कितने आवेदन प्राप्त हुए	<p>पूछे गये प्रश्न का विवरण निम्न प्रकार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>वर्ष</th> <th>ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त कुल आवेदन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i)</td> <td>2013-14</td> <td>20891</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>2014-15</td> <td>26777</td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>2015-16</td> <td>32717</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	वर्ष	ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त कुल आवेदन	(i)	2013-14	20891	(ii)	2014-15	26777	(iii)	2015-16	32717
क्र. सं.	वर्ष	ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त कुल आवेदन												
(i)	2013-14	20891												
(ii)	2014-15	26777												
(iii)	2015-16	32717												
ख	इनमें से कितने आवेदकों को फीस वापिस मिली।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>वर्ष</th> <th>फीस वापिस पाने वाले आवेदकों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i)</td> <td>2013-14</td> <td>8387</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>2014-15</td> <td>22987</td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>2015-16</td> <td>24606</td> </tr> </tbody> </table> <p>कुछ आवेदन अभी विचाराधीन है।</p>	क्र. सं.	वर्ष	फीस वापिस पाने वाले आवेदकों की संख्या	(i)	2013-14	8387	(ii)	2014-15	22987	(iii)	2015-16	24606
क्र. सं.	वर्ष	फीस वापिस पाने वाले आवेदकों की संख्या												
(i)	2013-14	8387												
(ii)	2014-15	22987												
(iii)	2015-16	24606												
ग	फीस प्रतिपूर्ति न होने के क्या कारण रहे।	<p>फीस वापिस नहीं पाने वाले आवेदकों ने निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक शर्त पूरी नहीं की।</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) पिछली कक्षा में प्राप्तांक - 50% (कक्षा 6 से कक्षा 12 में) (ii) पिछली कक्षा में उपस्थिति - 80% (iii) 2 लाख वार्षिक आय का प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार, में एसडीएम द्वारा जारी किया हुआ। (iv) गत वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना (v) अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्याशी का 3 वर्ष से दिल्ली में निवास का प्रमाण। (vi) अ0 जा0/अ0 ज0 जा0/अ0 पि0 व0 के प्रत्याशी का स्वयं का या पिता जी का दिल्ली सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र अगर जाति प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी न होने की सूरत में डोमीसाइल प्रमाण पत्र। (vii) अल्पसंख्यक वर्ग के प्रार्थी के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होने का घोषणा पत्र। (viii) स्कूल का दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त होना। 												

घ	क्या यह सत्य है कि पिछले साल इसका आवेदन ऑनलाइन कर दिया गया।	जी हाँ।
ङ	प्रक्रिया आनलाइन होने के कारण आवेदकों की संख्या में वृद्धि हुई या कमी।	वर्ष 2015-16 में ट्यूशन फीस के लिए प्राप्त आवेदकों की संख्या 32717 तथा वर्ष 2016-17 में ऑनलाइन आवेदकों की संख्या 25174 है। ऑनलाइन आवेदकों की संख्या में कमी हुई है।
च	क्या यह सत्य है कि आवेदकों में कमी का कारण ऑनलाइन फार्म की जानकारी या ट्रेनिंग का न होना है।	इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी विभाग के पास नहीं है।
छ	यदि हाँ तो इसके निवारण के लिए विभाग के पास भविष्य में क्या योजना है?	लागू नहीं है।

(सचिव)

अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./कल्याण विभाग